[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

Notification

The 9th May, 2003

No. G.S.R. 12/Const./Art. 309/2003.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Veterinary (Group A) Service Rules, 1995, namely :—

1. These rules may be called the Haryana Veterinary (Group A) Service (Amendment) Rules, 2003.

2. In the Haryana Veterinary (Group A) Service Rules, 1995 (hereinafter called the said rules), in rule 9, in sub-rule (1), in clause (b) —

(i) In sub-clause (i), for the words "by promotion" , the figures, singns and words "75%" by promotion" shall be substituted ;

(ii) For the word "or" existing at the end, the word "and" shall be substituted ;

(iii) After sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(i-a) 25% by direct recruitment ; or ".

3. In the said rules, in Appendix-B, against serial numbers 2 to 6, under column 3, the following academic qualifications and experience shall be added, namely :—

3

"(i) Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognised University/institution ;

(ii) 15 years experience in the field of veterinary science/animal husbandry out of which 3 years experience as Deputy Director (Animal Husbandry) or its equivalent ;

Preference will be given to candidates having speciality in large animal production (Cattle/buffalo/equine).".

BHAGWATI PARSHAD,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana,
Animal Husbandry Department.

35961—L.R.—H.G.P., Chd.

भाग III

हरियाणा सरकार

पशुपालन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 मई, 2003

संख्या सा० का० नि० 12/संवि० /अनु० 309/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त, उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा पशु चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1995 को आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा पशु चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा नियम, 2003 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पशु चिकित्सा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1995 जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है में नियम 9 में, खण्ड ख में,—

(i) उप-खण्ड (1) में, पदोन्नति द्वारा शब्दों के स्थान पर "75%" पदोन्नति द्वारा अंक, चिन्ह तथा शब्द रखे जायेंगे,

(ii) अन्त में विद्यमान "या" शब्द के स्थान पर "तथा" शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा,

(iii) उप-खण्ड (1) के बाद, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(i क) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; या"।

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 2 से 6 के सामने खाना 3 के नीचे निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यतायें तथा अनुभव रखा जायेगा, अर्थात् :—

3

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से पशु चिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन में उपाधि ;

(ii) पशु चिकित्सा विज्ञान/पशुपालन में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें उप निदेशक (पशुपालन) या इसके समकक्ष 3 वर्ष का अनुभव ;

बड़े पशु उत्पादन (पशु, भैंस, अश्व) में विशेषता रखने वाले उम्मीदवार को अधिमान दिया जायेगा ।"।

भगवती प्रशाद,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पशु पालन विभाग।

Husbandry Department.